फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 208 अक्टूबर 2005

कहत कबीर

मण्डी का दबदबा डर और लालच के संकीर्ण दायरे में जीवन को अधिकाधिक सिकोड़ रहा है।

समझाना – सँभालना – अनुमति – आदेश
बनाम
आदान – प्रदान – टोली – तालमेल – समुदाय

* हम मानवों ने विश्व- व्यापी जटिल ताने- बाने बुन लिये हैं। जाने- अनजाने में हमारे द्वारा निर्मित हावी ताने- बाने हम मानवों के ही नियन्त्रण से बाहर हो गये हैं। हावी ताने- बाने वर्तमान समाज व्यवस्था का गठन करते हैं।
* जटिल और विश्व- व्यापी होने के बावजूद यह ताने- बाने स्थिर नहीं हैं, जड़ अथवा ठहरे हुये नहीं हैं बल्कि गतिमान हैं। हर पल, हर क्षण चीजें बदल रही हैं।
* हावी तानों- बानों का योग, वर्तमान समाज व्यवस्था हम मानवों पर तो हिमालयी आकार का बोझ बन ही गई है, पृथ्वी की प्रकृति को भी यह व्यवस्था तहस- नहस करने में लगी है।
* ज्ञानी- ध्यानी- बलशाली- बलिदानी- अवतारी मनुष्यों के प्रयास जाने- अनजाने में हालात को बद से बदतर बनाते, असहनीय वर्तमान तक ले आये हैं। धार्मिक- आर्थिक- सांस्कृतिक- राजनीतिक पंथ- सम्प्रदाय वर्तमान समाज व्यवस्था से पार पाने में अक्षम लगते हैं।
* गतिशील व विश्व- व्यापी दमन- शोषण वाली इस व्यवस्था से पार पाने और नई समाज रचना की क्षमता संसार में निवास कर रहे पाँच- छह अरब लोगों में लगती है। इस क्षमता को योग्यता में बदलने के लिये सामान्यजन की सहज गतिविधियों के महत्व को पहचानना- स्थापित करना प्रस्थान- बिन्दू लगता है। ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं की हावी भाषा की जगह नई भाषा की आवश्यकता है जिसके लिये विगत के समुदाय कुछ सामग्री प्रदान कर सकते हैं।

● इच्छा- अनिच्छा के बावजूद हर व्यक्ति हर समय वास्तविकता से रूबरू रहती- रहता है। व्यक्ति का हकीकत के जिस पहलू से वास्ता रहता है उसके बारे में जितना वह जानती है उतना अन्य कोई नहीं जान सकता।

वास्तविकता बहुत विस्तृत है। हकीकत बहुत जटिल भी है। और, पल- पल बदलती रहती है वास्तविकता।

जाहिर है कि कोई भी, जी हाँ कोई भी व्यक्ति हकीकत को पूरी तरह नहीं जान सकती। एक क्षण की वास्तविकता को भी कोई व्यक्ति पूरी तरह नहीं जान सकता।

ब्रह्माण्ड- व्यापी वास्तविकता की बजाय हम अपने दायरे को सामाजिक हकीकत तक ही रखते हैं तब भी उपरोक्त बातें तथ्यगत रहती हैं। यहाँ हम स्वयं को सामाजिक वास्तविकता के क्षेत्र में ही सीमित रखेंगे।

● व्यक्ति और सामाजिक वास्तविकता के बीच सम्बन्धों की यह हकीकत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण को प्रभावित करने की क्षमता और सीमा, दोनों को निर्धारित करती है। सामाजिक वास्तविकता के सन्दर्भ में कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं है और कोई भी व्यक्ति आत्म- निर्भर नहीं है। व्यक्ति का सर्वज्ञ अथवा सर्वशक्तिशाली होना तो बहुत दूर की बातें हैं। हकीकत में न तो व्यक्ति के गौण- हेय होने के लिये स्थान है और न ही अहंकार के लिये कोई जगह।

● व्यक्तियों के बीच व्यापक आदान- प्रदानों द्वारा ही सम्पूर्ण वास्तविकता मोटा- मोटी पकड़ में आती है, गतिशीलता समेत पकड़ में ली जा सकती है। व्यक्तियों के बीच व्यापक जोड़- तालमेल हकीकत पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकते हैं। कैसा प्रभाव डालना है? यह हमारे लिये सर्वोपरि महत्व का प्रश्न है। वर्तमान समाज व्यवस्था में मनुष्यों में हावी व्यापक (सार्विक) पुर्जेनुमा जोड़- तालमेल विनाश का ताण्डव बने हैं।

● मानवों के बीच हावी पुर्जेनुमा जोड़ों- तालमेलों के विनाश का ताण्डव होने के सन्दर्भ में आईये यहाँ पुर्जेनुमा जोड़ों- तालमेलों के आधार- स्तम्भों को पुष्ट करती समझाना (और समझना) की धारणा पर एक नजर डालें।

ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं की शिक्षा- दीक्षा- अनुशासन- संस्कार ने "समझाने - समझने" को हम में गहरे ठूँस रखा है।

"इतना समझाने पर भी लोग समझते ही नहीं" में व्यक्त की जाती पीड़ा वास्तव में आमतौर पर दिखावटी पीड़ा होती है। समझाने में लगे व्यक्तियों के कुछ वास्तविक दुःख- दर्द यह हैं:

— दूसरों को हेय दृष्टि से देखना प्रेम, आदर, गहरे रिश्तों के लिये स्थान नहीं छोड़ता। छवि के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है जो कि खुद को स्वयं की नजरों में गिराता है। "मैं" जानता हूँ; "तू" नहीं जानती; मैं सही हूँ— मनवाने के लिये तर्क/कुतर्क, झूठे- सच्चे उदाहरण, डर, लालच. ..... अध्यापक- नेता- बड़े की भूमिका मन पर जिम्मेदारियों का अजब बोझ लिये है।

— जिनको समझाया जा रहा होता है उनके साथ विरोधी वाले रिश्ते बनते/उभरते हैं। रौब- दाब बनाये रखने के लिये ठेकेदार बनना पड़ता है, अपने को अधिक तानना पड़ता है।

— समझाने वाले की भूमिका में बने रहने के लिये समझाने वालों के बीच की कटु होड़ में जूझना पड़ता है। हर समय छिटका कर नाकारा समूह में धकेल दिये जाने का डर बना रहता है। बाप की भूमिका में बने रहने के लिये वृद्धावस्था में निन्यानवे के फेर अति दुखद हैं .... (जारी)

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी फरीदाबाद—121001

कानून हैं शोषण के लिये
छूट है कानून से परे शोषण की

निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं, निर्धारित समय तक भी तनखा नहीं, 8 की जगह 12– 12½ घण्टे की शिफ्ट, ई. एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, हेराफेरी– रिश्वत... जुलाई के वेतन से देय डी.ए. राशि की सितम्बर– अन्त तक हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा ही नहीं .... जनवरी 05 से हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर– हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 90 रुपये 13 पैसे और महीने में 4 छुट्टी पर 2343 रुपये 37 पैसे; कुशल मजदूर को 8 घण्टे के 100 रुपये 13 पैसे और महीने के 2603 रुपये 37 पैसे।

नूकेम मशीन टूल्स मजदूर : " 20/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में बकाया तनखाओं की सँख्या कम्पनी फिर बढाने लगी है। हमारी 16 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं – अप्रैल 04 की तनखा हमें 14 सितम्बर 05 को दी है।"

शिव टूल इंजिनियर्स वरकर : "डबुआ- पाली रोड़ पर स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1000- 1200 रुपये। फैक्ट्री में 40 मजदूर – ई. एस.आई. 8- 10 की, पी.एफ. किसी का नहीं।"

सुपर स्क्रू मजदूर : "प्लॉट 30 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1600 और कारीगर की 2000- 2600 रुपये। ड्युटी 12 घण्टे की – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

एस.पी.एल. इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 21 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में भर्ती के लिये अधिकारी 500 रुपये रिश्वत लेते हैं। फिनिशिंग विभाग में सुपरवाइजर गाली देते हैं।"

सिकन्द लिमिटेड मजदूर : "61 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में जुलाई की तनखा के चेक कम्पनी ने 25 अगस्त को जा कर दिये। अगस्त का वेतन आज 14 सितम्बर तक नहीं दिया है।"

श्री इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 102 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये है पर हस्ताक्षर 2400 पर करवाते हैं। साप्ताहिक के अलावा छुट्टी करने पर कम्पनी तनखा से 100 रुपये काट लेती है। महीने में 10- 12 दिन 9- 10 घण्टे काम करवाते हैं पर उन 1- 2 घण्टे ओवर टाइम के पैसे नहीं देते।"

सरवल उद्योग मजदूर : "प्लॉट 76 सैक्टर- 28 स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को अगस्त की तनखा आज 13 सितम्बर तक नहीं दी है।"

अनिल रबड़ वरकर : "प्लॉट 30 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में भर्ती के लिये अधिकारी 300 रुपये रिश्वत लेते हैं। ओवर टाइम के पैसों में से 100 रुपये रिश्वत के हर महीने लेते हैं।"

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : " 12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अगस्त की तनखा कुछ वरकरों को 19 सितम्बर को दी – अधिकतर मजदूरों को आज 21 सितम्बर तक नहीं दी है। एक ठेकेदार के जरिये रखी महिला मजदूरों ने 4 दिन से काम बन्द कर रखा है।"

ग्राइन्डवैल वरकर : "56 बी/2 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में हैल्पर को 1800 रुपये तनखा देते हैं पर हस्ताक्षर 2344 पर करवाते हैं। रोज 12 घण्टे काम, कभी- कभी 14 घण्टे भी – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

सेक्युरिटी गार्ड : "1- ए/8 कोर्ट रोड़, सैक्टर- 11 कार्यालय वाली **हिन्दुस्तान इनवेस्टिगेशन एण्ड सेक्युरिटी सर्विस** गार्डों को तनखा दो रजिस्टरों में देती है। एक रजिस्टर उन गार्डों का जिनकी ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं और दूसरा रजिस्टर उन गार्डों का जिनकी ई. एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। साप्ताहिक छुट्टी किसी गार्ड को नहीं देते।"

क्लच आटो मजदूर : " 12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अगस्त की तनखा कैजुअल वरकरों और स्टाफ को आज 21 सितम्बर तक नहीं दी है।"

अटोप प्रोडक्ट्स वरकर : " प्लॉट 24 सै.- 24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1600 रुपये – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ऑपरेटरों की तनखा 2000 रुपये से शुरू करते हैं।"

साँई प्रिन्ट्स पैक मजदूर : " प्लॉट 196 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर का वेतन 1500 और ऑपरेटरों का 2000- 2200 रुपये। ई. एस.आई. व पी.एफ. 25 में से 4 मजदूरों के ही।"

पूजा फोरजिंग वरकर : " 14/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में महीने के तीसों दिन 12 घण्टे की ड्युटी। कैजुअल वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

नूकेम केमिकल मजदूर : "54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में अगस्त की तनखा आज 14 सितम्बर तक नहीं दी है।"

जगसनपाल फार्मास्युटिकल वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में डी.ए. के पैसे दो वर्ष से नहीं दे रहे।"

***भूपेन्द्रा स्टील मजदूर** : "प्लॉट 25 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में 5 सितम्बर को क्रेन से ढलाई के लिये पिघला लोहा ले जाते समय डाबू की एक लड़ी टूट गई। चार टन पिघला लोहा नीचे खड़े एक मजदूर पर गिरा – तत्काल मृत्यु हो गई।"*

थोड़ा ठहर ...(पेज तीन का शेष)

मजदूरों की तनखा में से ही काटते हैं – कम्पनी वाला हिस्सा भी हम से लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे पुराने वरकरों को डबल की दर से और नया को सिंगल रेट से।"

ए.पी. मजदूर : "प्लाट 81 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1400 रुपये। दो शिफ्ट 12- 12घण्टे की – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. एक चौथाई मजदूरों के ही। सी.एन.सी. मशीन पर काम करते समय एक मजदूर की छाती टूट गई – उसकी ई.एस.आई. नहीं थी, एस्कोर्ट्स अस्पताल में इलाज, डेढ लाख रुपये खर्च, कम्पनी के संग उस वरकर को भी देने पड़े। पावर प्रेसों पर हाथ कटते रहते हैं।"

ए एन जी आटोमोटिव वरकर : " 14/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में भट्टी पर, ब्रोचिंग और प्लेटिंग में 12- 12 घण्टे की शिफ्ट हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्पर की तनखा 1800 रुपये। फैक्ट्री में काम करते 250 मजदूरों की तनखा से ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर ई. एस.आई. कार्ड 5- 7 को ही दिये हैं – तनखा में से पी.एफ. काटते ही 5- 7 मजदूरों का हैं।"

श्याम टैक्स इन्टरनेशनल मजदूर : "प्लॉट 4 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की शिफ्ट हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 8 घण्टे रोज पर 30 दिन के 1642 रुपये के हिसाब से पैसे – साप्ताहिक छुट्टी नहीं। ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे तनखा में से काटते हैं पर ई.एस. आई. कार्ड नहीं देते। अगस्त का वेतन आज 20 सितम्बर तक नहीं दिया है।"

ध्रुव ग्लोबल वरकर : " 14 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे की ड्युटी तो है ही, साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी काम करना अनिवार्य कर रखा है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कैन्टीन में चाय 3 रुपये की और मट्ठी 2 रुपये की – 10 व 15 रुपये में रोटी कच्ची- पक्की।"

मनीष इन्डस्ट्रीज मजदूर: "प्लॉट 67 सै. - 6 स्थित फैक्ट्री में 25 वरकर कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं और 75 को ठेकेदार के जरिये रखा है। ठेकेदार तनखा में 1800 रुपये देता है पर हस्ताक्षर ज्यादा राशि पर करवाता है। हम से फोटो लिये थे लेकिन हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। अधिकारियों के छापे के समय मैनेजमेन्ट ने कई मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया था।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये- पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

थोड़ा ठहर कर

सुडट्रैक लिन्केज मजदूर : "13/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1400- 1500 और ऑपरेटरों की 1800 रुपये। फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में 500 मजदूर काम करते हैं जिनमें से 8- 10 ही स्थाई हैं, बाकी को 12- 13 ठेकेदारों के जरिये रखा है – 30 तो 16- 17 साल के लड़के हैं जिनकी 1300- 1400 रुपये तनखा है। ई.एस.आई. व पी.एफ. स्टाफ तथा स्थाई मजदूरों के ही। फैक्ट्री में 30 पावर प्रेस हैं – हाथ कटने पर नये वरकर को नौकरी से निकाल देते हैं। जुलाई की तनखा 27 अगस्त को जा कर दी थी और अगस्त का वेतन आज 21 सितम्बर तक नहीं दिया है।"

नीलम इन्डस्ट्रीज वरकर : "314 नवादा रोड़, डबुआ स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1400- 1600 और ऑपरेटरों को 1800- 2200 रुपये तनखा देते हैं पर जिनकी ई.एस.आई. करवाई है उन से हस्ताक्षर 2344 पर करवाते हैं। सुबह 8 से रात 8½ तक शिफ्ट – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में पेशाब करने की जगह नहीं बनाई है, बाहर जाना पड़ता है – उत्पादन जर्मनी निर्यात के लिये है। फैक्ट्री में 30 पावर प्रेस हैं – हाथ कटते रहते हैं। अधिकारियों के छापे के बाद 60 में से 15 मजदूरों पर ई.एस.आई. लागू की पर ई.एस.आई. कार्ड उन्हें भी नहीं देते – एक्सीडेन्ट के बाद दो मजदूरों को कार्ड दिया। पी.एफ. किसी मजदूर का नहीं है। थोड़ी- सी बात पर नौकरी से निकाल देते हैं। अगस्त की तनखा हमें 18 सितम्बर को दी।"

कबीरा इन्टरप्राइजेज मजदूर : "98 डी.एल.एफ. एरियां स्थित फैक्ट्री में काम करती 350 महिला मजदूरों की सुबह 9 से रात 8 की शिफ्ट है। रंगाई करते पुरुष मजदूर सुबह 8 से रात 1 बजे तक काम करते हैं। कढाई करते पुरुष सुबह 9 से रात 9 तक – माँग पर रात 1 बजे तक, पूरे 24 घण्टे भी। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम। बुनाई विभाग में सिर्फ सैम्पल बनते हैं – उत्पादन पानीपत और मेरठ से करवाया जाता है। महँगे शॉल बनते हैं – फैक्ट्री के अन्दर एक बोर्ड पर लिखे **एस ए एस इन्टरनेशनल** के नाम से पूरा उत्पादन निर्यात होता है। तनखा में से ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर लगता है कि विभाग में जमा नहीं करते – बरसों से काम कर रहों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं, एक्सीडेन्ट होने के बाद कच्चा कार्ड बनाते हैं, रेट फार्म भर कर नहीं देते, मजदूर को ई.एस.आई. से क्षतिपूर्ति नहीं मिलती।"

कल्पना फोरजिंग वरकर : "प्लॉट 34- 35 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1300- 1800 रुपये -- ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। रोज 12½ घण्टे की ड्युटी, रविवार को भी – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। पैसे देते समय अधिकारी 10 रुपये से कम वाले तो देते ही नहीं – खा जाते हैं। फैक्ट्री में दवाई- पट्टी है ही नहीं – थोड़ी चोट भुगतो, अपने पैसे खर्च करो। ज्यादा चोट लगने पर कम्पनी प्रायवेट में इलाज करवाती है पर उन दिनों की दिहाड़ी नहीं देती। फैक्ट्री में 400 मजदूर हैं – ज्यादातर तीन ठेकेदारों के नाम पर लेकिन सब डीलिंग मैनेजर करता है। फैक्ट्री में 6 लैट्रीन हैं जिनमें से 3 तो हर समय जाम रहती हैं और 2 में गार्ड ताले लगा कर रखते हैं -- सुपरवाइजरों के लिये हैं। मजदूरों के लिये बची एक लैट्रीन के बाहर हर समय लाइन लगी रहती है। फैक्ट्री से बाहर पेशाब करने जाने पर आस- पास की फैक्ट्रियों के गार्ड धमकाते हैं। मैनेजर गाली देता है।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : "प्लान्ट 1 में ठेकेदारों के जरिये रखे हम 50 वरकरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते। तीस दिन काम पर हैल्पर को 1800 रुपये और कारीगर को 3000 देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड कुछ को दिया है, कुछ को नहीं। ज्यादा हेराफेरी पी.एफ. में की जाती है -- हाजरी कम दिखाते हैं, 30 दिन की ड्युटी को 15 दिन दिखा कर 15 दिन की तनखा पर पी.एफ.। श्रम विभाग में शिकायत पर लेबर इन्सपैक्टर आया -- पूछा और हम ने बताया। जुर्माना कर श्रम निरीक्षक चलता बना और हम में से एक को नौकरी से निकलवा दिया।" **(बाकी पेज दो पर)**

डायनैमिक इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 5 सैक्टर- 4 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. 2- 3 महीने नौकरी करते हो जाते हैं तब लागू करते हैं पर.... पर पी.एफ. के दोनों हिस्से हम

दिल्ली से-....(पेज चार का शेष)

सिंगल रेट से देते हैं और वह भी 4 की बजाय 3 घण्टे के हिसाब से ही।

"दशहरा- दिवाली आ रहे हैं। माइकल आराम एक्सपोर्ट में क्या सितम्बर की तनखा हमें दी जायेगी? क्या वार्षिक बोनस देंगे? अनिश्चितता तनाव बढा रही है।"

रितनिका इन्टरनेशनल मजदूर : "बी- 1/ई- 9 मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, बदरपुर स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से साँय 6 की शिफ्ट है पर महीने में 15 रोज रात 2 बजे तक रोकते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से तो देते ही हैं, शिपमेन्ट खुलने के बाद लगी नाइट का पैसा काट लेते हैं – 8 घण्टे करवाये ओवर टाइम काम का एक पैसा भी नहीं देते। ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 1800- 2800 रुपये। कारीगर की दिहाड़ी 110 रुपये। फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करते हैं – ई.एस.आई. व पी.एफ. कुछ के हैं, कुछ के नहीं।"

पीएम्परो एक्सपोर्ट वरकर : "एफ- 2/6 ओखला फेज- I स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 9 बजे तक की एक शिफ्ट है। कारीगर 14 रुपये 60 पैसे प्रति घण्टा के आधार पर पीस रेट पर। ठेकेदार के जरिये रखी 150 महिला मजदूरों को 1500 रुपये तनखा – 12 घण्टे रोज पर महीने के 2200 रुपये। हैल्पर कम्पनी खुद रखती है – 3166 रुपये तनखा, गालियाँ, 6 महीने बाद हिसाब। ई.एस.आई. व पी.एफ. 7- 8 मास्टरों, 20 स्टाफ वालों और कुछ हैल्परों के ही – अधिकतर मजदूरों को बीमार पड़ने पर प्रायवेट में अपने पैसों से इलाज करवाना पड़ता है। इधर कम्पनी ने 2 कम्प्युटर युक्त सिलाई की मशीन लगाई हैं जो मजदूरों को बिजली के झटके मारती रहती हैं पर शिकायतों के बावजूद कम्पनी उन्हें ठीक नहीं करवाती। इस- उस को दिखाने के लिये कम्पनी ने कारीगरों से यह लिख कर हस्ताक्षर करवा रखे हैं कि कारीगर 8 घण्टे ड्युटी पर महीने में 6500 रुपये से ज्यादा कमाता है जबकि असल में हमें 12 घण्टे रोज पर 30 दिन में 4000- 4200 रुपये ही पड़ते हैं। फैक्ट्री में 400 मजदूर काम करते हैं पर कैन्टीन नहीं है, भोजन के लिये स्थान नहीं है पर काम की जगह से परे खाओ, और पीने के पानी में कीड़े! मास्टर गाली बहुत देते हैं।"

भारतीय खाद्य निगम मजदूर : "सरकार का अपना कानून है, 'समान काम के लिये समान वेतन'। भारत सरकार अपने स्वयं के उपक्रम 'भारतीय खाद्य निगम' में इस कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। जिस काम के लिये विभागीय मजदूर की तनखा 13, 000 रुपये है उसी काम के लिये डी पी एस मजदूर को 124 रुपये दिहाड़ी तथा इधर इस- उस शर्त वाले 50 रुपये के बाद डी पी एस मजदूर की तनखा 5000 रुपये तक ही बन पाती है और .... और भारतीय खाद्य निगम में मजदूरों की तीसरी कैटेगरी ठेकेदारों के मजदूरों की है जिन्हें दिहाड़ी नहीं बल्कि प्रति बोरी लादने- उतारने के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं – निगम से बड़ा ठेकेदार टेण्डर छुड़वाता है और उससे लेबर का ठेकेदार ठेका लेता है. ... मजदूर को सीजन में 2000 रुपये महीना पड़ते हैं। समान काम के लिये सरकार मजदूरों को 13, 000 रुपये, 5000 रुपये और 2000 रुपये देती है।"

प्रिसिजन कम्पोनेन्ट वरकर : "एफ- 47 ओखला फेज- I स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1400 रुपये और कारीगर की 1600- 3100 रुपये। फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 8½ तक की शिफ्ट है, महीने में 5 रोज रात 2 बजे तक रोक लेते हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। पीतल व लोहे पर पॉलिश का काम 35- 36 मजदूर करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 2- 3 के ही हैं। तनखा हर महीने देरी से – अगस्त का वेतन 19 सितम्बर को दिया।"

एस्थेटिक्स मजदूर : "डी- 74 ओखला फेज- I स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की 80 रुपये दिहाड़ी – साप्ताहिक छुट्टी नहीं। फैक्ट्री में सुबह 9½ से साँय 6 की शिफ्ट है और महीने में 3- 4 रोज रात 2 बजे तक रोकते हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। माल बाहर से बन कर आता है और यहाँ हम 70- 80 मजदूर फिनिशिंग का काम करते हैं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं – अगस्त में हम सब से कम्पनी ने फोटो लिये थे।"

दिल्ली से-

कानून : ●37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; ●8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से; ●अब 8 घण्टे की ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा हैल्पर के लिये 3166 रुपये और कारीगर के लिये 3590 रुपये महीना है।

कनोड़िया एक्सपोर्ट मजदूर : " कम्पनी की बी-2/1 तथा बी-14 ओखला फेज-II स्थित फैक्ट्रियों में 700 मजदूर काम करते हैं और ड्युटी ही 12 घण्टे प्रतिदिन है – महीने के तीसों दिन, 15 अगस्त को भी काम जारी था। हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2200 रुपये देते हैं और ज्यादातर कारीगरों को पीस रेट पर रखते हैं – तनखा पर रखे कम्प्युटर से डिजाइन-सैम्पल बनाने वालों को 2500 रुपये वेतन। बी-2/1 में स्वेटर के पल्ले बनते हैं और इधर 15 दिन से एक शिफ्ट है जबकि बी-14 में महिलाओं के वस्त्रों के संग-संग स्वेटर पूरी की जाती हैं और यहाँ 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट जारी हैं – महिला मजदूर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही। ई.एस.आई. व पी.एफ. दस में से एक मजदूर के। चेयरमैन और बेटा-बेटियाँ टोकते रहते हैं – रात 12 बजे तक रहते हैं, फैक्ट्री में ही सो भी जाते हैं। पहली अक्टूबर को रात एक बजे बी-14 में कम्पनी के गुण्डे ने एक मजदूर की डण्डे से बहुत पिटाई की।"

माइकल आराम एक्सपोर्ट-अलकेमिस्ट-माइकल आराम डिजाइन वरकर : "लाडो सराय, साहिबाबाद, ओखला फेज-I में बी-156 डी डी ए शेड्स, सी-82 व सी-109..... मार्च माह में मैनेजमेन्ट में आपसी झगड़ा, भ्रष्टाचार-घोटालों के एक-दूसरे पर आरोप, फैक्ट्रियाँ बन्द करने और नई खोलने के चक्करों ने हम मजदूरों को अतिरिक्त परेशानी में डाल रखा है। मार्च माह से ही बी-156 व सी-82 के मजदूरों को खाली बैठाना, मई में सी-109 में नई खोली फैक्ट्री में नौकरी के लिये इस्तीफे लिखने पर जोर, ट्रान्सफर, तालाबन्दी, नौकरी से निकालना, तनखा रोकना..... इन सब के खिलाफ इफ्टू यूनियन द्वारा श्रम विभाग में कार्रवाई से हमें काफी राहत मिली है। फिर भी, मैनेजमेन्ट के बढते दबाव से इधर अलकेमिस्ट के अधिकतर मजदूर हिसाब ले गये हैं। और, 'भ्रष्टाचार-घोटालों से मुक्त' के नाम पर सी-109 में नई स्थापित माइकल आराम डिजाइन में भ्रष्टाचार-घोटाले जन्म से ही आरम्भ – भर्ती के लिये अधिकारी 1000 रुपये रिश्वत ले रहे हैं, वैन्डर का माल पास करने के लिये रिश्वत, ठेकेदार से तो घोटाले के लिये अधिकारियों ने प्रतिशत तय कर रखा है।

" सी-109 ओखला फेज-I स्थित माइकल आराम डिजाइन में ठेकेदार के जरिये रखे गये हम 18 मजदूरों से लगातार रात की ड्युटी करवाई जा रही है। काम का बहुत दबाव है और हर रात 12 घण्टे मैटल पॉलिश करने के कारण हम पेट खराब, बुखार, साँस की तकलीफों से पीड़ित हो रहे हैं। हम में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये और कारीगरों की 2000-3500 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। ओवर टाइम के पैसे **(बाकी पेज तीन पर)**

रोहतक जेल

रोहतक जेल के अन्दर कैदियों के साथ बहुत-ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तीन महीने से जेल प्रशासन ने कैन्टीन बन्द कर रखी है और कैदियों से कैन्टीन कूपन जब्त कर लिये हैं। जेल प्रशासन के पास बन्दियों के जो 2-3 लाख रुपये जमा थे उन्हें अधिकारी हड़प गये हैं – यह कह कर कि पैसे वापस करेंगे, अधिकारियों ने कैदियों से अँगूठे लगवा लिये और कई बन्दियों की ऐसी पिटाई की कि वे 40-45 दिन तक चल नहीं सके। जज को आवेदन दिया – डॉक्टरी जाँच करवाई गई पर फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैदियों का आपस में झगड़ा दिखा कर जेल अधिकारी पीटते हैं और जबरदस्ती पैसे लेते हैं। रोहतक व झज्जर जिलों का सबसे बड़ा जज महीने में एक बार जेल का दौरा करता है पर जो कैदी जज से मिलना चाहते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। जिन बन्दियों ने न्यायाधीश के पास आवेदन किया है उन कैदियों को जेल प्रशासन ने कसूरी चक्की में डाल रखा है और उन्हें दिन-रात कोठरी में बन्द रखा जा रहा है। (जानकारी हम ने 28.9.2005 के 'पंजाब केसरी' में 'रोहतक जेल से चिट्ठी आई है' से ली है।)

न्यायालय उर्फ फरेबालय

केस जीता मजदूर : " हम जिन्हें अलग-अलग खाते कहते थे वे कागजों में 17 कम्पनियाँ थी। ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल-पावरलूम ओनर्स एसोसियेशन-न्यू इण्डिया टैक्सटाइल्स-राजेश्री टैक्सटाइल्स-फाइबर एण्ड प्रोसेसर्स (जूट मिल)-..... का जाल-जँजाल 13 साल अदालतों के चक्कर काटने के बाद कुछ-कुछ दिखने लगा है। तीस साल की नौकरी के दौरान अन्य हजारों की तरह मैं भी स्वयं को ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल का मजदूर मानता था और भूलभुलैया के दस्तावेजों में भी ईस्ट इण्डिया कॉटन के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज कुमार लोहिया को ही जँजाल का कर्ता-धर्ता पाया गया है.... मेरे केस में निकुंज कुमार लोहिया के खिलाफ गैर-जमानती वारन्ट जारी हैं।

" कपड़ा बुनते हम उच्च कुशल श्रमिकों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। हम ने 1990 में ईस्ट इण्डिया मैनेजमेन्ट को, यूनियन को आवेदन दिये। कोई असर नहीं पड़ने पर हम ने श्रम विभाग में शिकायत की। इस पर मैनेजमेन्ट ने बाबू राम, मोहन, सुदीन को बर्खास्त कर दिया – 15 वर्ष बाद भी बाबू राम व मोहन का मामला श्रम न्यायालय के विचाराधीन है और सुदीन के पक्ष में 2001 में दिया गया निर्णय सितम्बर 05 तक लागू नहीं।

" श्रम विभाग ने 1991 में जब हम मजदूरों की शिकायत ठुकराई तभी मैनेजमेन्ट-यूनियन ने समझौता कर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन हमें देना शुरू कर दिया। हमारे विरोध पर श्रम विभाग ने अपना निर्णय पलटा और कम्पनी पर जुर्माना लगाया.... मैनेजमेन्ट ने 6 जुलाई 92 को मुझ राम सागर को नौकरी से निकाल दिया।

"सात साल बाद, 10.6.99 को श्रम न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। कम्पनी ने अदालत के फैसले का पालन नहीं किया। मामला श्रमायुक्त के पास चण्डीगढ गया और उन्होंने इसे फरीदाबाद में श्रम विभाग को लागू करवाने के लिये भेजा। श्रम निरीक्षक और फिर श्रम एवं समझौता अधिकारी ने श्रम न्यायालय का फैसला लागू कराने में असमर्थता जाहिर करके मामला वापस श्रमायुक्त को भेज दिया। चण्डीगढ से तब साहब ने फरीदाबाद में श्रम विभाग को मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी की अदालत में कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहा। श्रम निरीक्षक ने 2001 में यह केस दायर किया। कम्पनी न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुई – अदालत के 15-16 समन बेकार होने पर 2003 में चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज कुमार लोहिया के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारन्ट जारी हुआ। पाँच बार यह वारन्ट जारी हुआ और पुलिस ने नाकामी प्रदर्शित की। इस पर दिसम्बर 04 में निकुंज कुमार लोहिया, निवासी जी-3 महारानी बाग, नई दिल्ली के खिलाफ गैर-जमानती वारन्ट जारी किया गया। पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी.... 31.5.05 को फिर गैर-जमानती वारन्ट जारी... फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी.... 8.8.05 को अदालत द्वारा तीसरी बार गैर-जमानती वारन्ट जारी.... ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल का चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज कुमार लोहिया खुला घूम रहा है, फरीदाबाद अदालत परिसर में ही अन्य अदालतों की कार्रवाइयों में शामिल हो रहा है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति आदि को इस सब से अवगत करा चुका हूँ। 1992 के मामले में 1999 में दिया गया श्रम न्यायालय का निर्णय सितम्बर 05 तक लागू नहीं किया गया है।"

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।